झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

आवश्यक सूचना – 02

झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा–2018

दिनांकः–13.06.2019

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 04/2018 (नियमित रिक्ति) द्वारा ''झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा–2018'' के लिए अर्हता प्राप्त आवेदकों से ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2018 के पूर्वाहन् 11:00 बजे से दिनांक 09.02.2019 की मध्य रात्रि तक प्राप्त किए गये हैं।

2. नियोजन हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए पूर्व से प्राधिकृत उपायुक्त तथा अनुमण्डल पदाधिकारी के अलावे एक अन्य प्राधिकार अंचलाधिकारी को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा सम्मिलित किया गया है। अतः इस पत्र के आलोक में उक्त विज्ञापन से सम्बद्ध विवरणिका की पात्रता एवं अन्य अहर्त्ता सम्बन्धी शर्त्तों के अधीन सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र धारित करने वाले तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए उक्त परीक्षा की ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जाती है। इसके विभिन्न चरण निम्नवत् हैंः–

क्र॰स॰	विवरण	प्रारम्भ होने की तिथि	समाप्ति तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन	17.06.2019	21.06.2019
2.	परीक्षा शुल्क के भुगतान की अवधि	18.06.2019	23.06.2019
3.	फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अवधि	19.06.2019	25.06.2019
4.	ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन की अवधि	27.06.2019	29.06.2019

3. उक्त परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 04/2018 से सम्बद्ध विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

4. इस आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किया गया है जो उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र के आलोक में वांछित प्रमाण पत्र धारित करते हैं अथवा पूर्व में आवेदन देने से वंचित हो गये हैं। पूर्व में ऑनलाईन आवेदन पत्र सफलता पूर्वक समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए निम्नलिखित जाति प्रमाण पत्र मान्य किये गये हैंः–

क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में पूर्व में निर्गत उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस सूचना के परिशिष्ट–क पर धारित प्रपत्र में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ग) सभी आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)) के लिए दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र परिशिष्ट–ख एवं परिशिष्ट–ग पर धारित है।

घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।

5. जाति प्रमाण पत्र की संख्या, इसकी निर्गम तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

6. विज्ञापन संख्या 04/2018 को उपर्युक्त अंशो तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त विज्ञापन की शेष शर्त्ते यथावत हैं।

ह०/–

परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट–क

प्रपत्र –XV

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा)

मैं.. पिता ....
पति/पत्नी .... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर ....
.... पोस्ट.. थाना..
अंचल ....जिला.. राज्य..
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93 स्था0 (एस0सी0टी0)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं0.............. दिनांक............ में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला ...., अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संख्या– .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–ख

प्रपत्र–4

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .... पिता .... पति .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखंड राज्य में यथा अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–ग

प्रपत्र – 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .... पिता .... पति .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., ... जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित